**भारत सरकार**

**रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय**

**औषध विभाग**

**राज्य सभा**

**अतारांकित प्रश्‍न संख्‍या 845**

**दिनांक 22 दिसम्बर, 2017 को उत्‍तर दिए जाने के लिए**

**औषधि नीति का प्रारूप**

**845. श्री तिरूची शिवा:**

क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की नई प्रारूप औषधि नीति में ब्रैंड नामों के स्थान पर साल्ट (अम्ल) के नामों के

आधार पर दवाओं को लिखने का प्रस्ताव शामिल है, यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ख) सरकार द्वारा देश के दूर-दराज क्षेत्रों में दवाओं की उपलब्धता में सुधार करने के लिए नई नीति में किन उपायों का प्रस्ताव किया गया है?

**उत्‍तर**

**सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय; जहाजरानी मंत्रालय और रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मनसुख एल. मांडविया)**

(क): जी, नहीं।

(ख): नई औषधीय नीति के मसौदे में एक मुख्य लक्ष्य के रूप में आम लोगों को वहनीय मूल्यों पर आवश्यक औषधियां उपलब्ध करवाने पर बल दिया गया है।

\*\*\*\*\*